सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 फाल्गुन, 1941 (श०)

संख्या- 135 राँची, मंगलवार, 3 मार्च, 2020 (ई०)

**कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग**

---

अधिसूचना

20 फरवरी, 2020

**संख्या-04/नि0सं0-12-02/2017 का॰ 1345** -- श्री राजेश कुमार लिण्डा, झा0प्र0से0, कोटि क्रमांक 744/03 द्वारा प्रोन्नति हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में W.P.(S) No. 5223/2018 में दायर किया गया है। श्री लिण्डा ने दायर याचिका में अपने कनीय श्री सलन भुईयां, झा0प्र0से0, कोटि क्रमांक- 745/03 एवं अन्य को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि, अपर समाहर्त्ता एवं समकक्ष कोटि तथा संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में दी गई प्रोन्नति की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

2. माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को निम्न आदेश पारित करने की कृपा की गई है:-

"Be that as it may, having gone through the fair submission of the parties, I hereby direct the petitioner to file a fresh representation before the concerned respondents, who shall consider the same and pass a reasoned order in accordance with law. The entire exercise shall be completed within a period of one month from the date of receipt of a copy of this order

Accordingly the writ petition stands disposed of".

3. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के आलोक में प्रोन्नति पर विचार हेतु श्री लिण्डा द्वारा दिनांक 21.10.2019 को विभाग को अभ्यावेदन समर्पित किया गया है, जिसके आलोक में विभागीय ज्ञापांक संख्या 547 दिनांक 27.01.2020 द्वारा तार्किक आदेश पारित किया गया है।

4. विदित हो कि अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँचीं के पत्रांक 286/आ0अप0, दिनांक 01.07.2009 द्वारा चाईबासा (मु0) थाना कांड सं0 74/2002, दिनांक 13.08.2002 से संबंधित आवश्यक अभिलेख संलग्न करते हुए श्री राजेश कुमार लिण्डा, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटपानी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश का प्रस्ताव विभाग को प्राप्त था। विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँचीं के आदेश सं0 451/जे0 दिनांक 11.11.2009 द्वारा श्री लिण्डा के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई।

5. चाईबासा (मु0) थाना काण्ड सं0 74/2002 दिनांक 13.08.2002 से संबंधित वाद सं0 GR Case No. 280/2002 की सुनवाई के पश्चात अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चाईबासा द्वारा दिनांक 01.08.2016 को न्यायादेश पारित किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा श्री राजेश कुमार लिण्डा एवं अन्य अभियुक्तों को साक्ष्य अभिलेख के अभाव में आरोपों से बरी कर दिया गया। इसके उपरांत विभाग द्वारा उक्त मामले को निष्पादित कर दिया गया।

6. उल्लेखनीय है कि खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के पत्रांक 3599 दिनांक 24.12.2019 एवं उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पत्रांक 719"B" दिनांक 26.12.2019 द्वारा इस विभाग को संसूचित किया गया है कि GR Case No. 280/2002 में पारित न्यायादेश के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में कोई अपील दायर नही किया गया है।

7. विदित हो कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति पर विचार हेतु दिनांक 04.07.2007 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत थी। समिति द्वारा श्री सलन भुईयां के संबंध में प्रोन्नति के योग्य की अनुशंसा की गई। उक्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या 3690 दिनांक 19.07.2007 द्वारा श्री भुईयां को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई। दिनांक 04.07.2007 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में श्री राजेश कुमार लिण्डा के नाम पर भी विचार किया गया, परन्तु श्री लिण्डा के सन्दर्भ में उनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं रहने के कारण अविचारनीय की अनुशंसा की गई।

8. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारियों को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 19.10.2009 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री लिण्डा के संबंध में ''पद सुरक्षित, विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त की जाय'' की अनुशंसा की गई। दिनांक 19.10.2011 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री लिण्डा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा की गई। दिनांक 08.08.2013 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री लिण्डा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत रहने एवं चारित्री का अभाव रहने के कारण प्रोन्नति के अयोग्य की अनुशंसा की गई। दिनांक 15.06.2015 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री लिण्डा के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत रहने के कारण समिति की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा की गई।

9. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति हेतु दिनांक 14.02.2019, दिनांक 13.03.2019, दिनांक 22.04.2019 एवं दिनांक 14.05.2019 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत थी। उक्त समिति द्वारा श्री लिण्डा के अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति के संबंध में विचार किया गया एवं निम्नवत् अनुशंसा की गईः-

"दिनांक 15.06.2015 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा मुहरबंद लिफाफे में थी। लिफाफा खोलने पर पाया गया कि इन्हें प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा की गई है। विभाग उक्त अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करे।"

10. दिनांक 15.06.2015 को आहूत विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा जिन पदाधिकारियों के संबंध में प्रोन्नति हेतु योग्य की अनुशंसा की गई है, उनकी प्रोन्नति की अधिसूचना विभागीय अधिसूचना संख्या 5970 दिनांक 06.07.2015 को निर्गत की गई है।

11. W.P.(S) No.5223/2018 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2019 को पारित न्यायादेश एवं श्री लिण्डा के अभ्यावेदन के क्रम में विभागीय ज्ञापांक संख्या 547 दिनांक 27.01.2020 द्वारा पारित तार्किक आदेश एवं विभागीय संकल्प संख्या 6227 दिनांक 20.11.2008 के आलोक में श्री राजेश कुमार लिण्डा, झा0प्र0से, कोटि क्रमांक 744/2003 को दिनांक 06.07.2015 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक रूप से अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

12. श्री लिण्डा को उक्त प्रोन्नति का वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर पदस्थापन के उपरांत प्रभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।

13. यह प्रोन्नति याचिका संख्या- W.P.(S) No. 3795/2003 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**सुधीर कुमार रंजन,**
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 135 -- 50